अनुसूची–14 फारम संख्या–562।

न्यायालय भूमि सुधार उप–समाहर्त्ता सदर दरभंगा

आदेश पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक– बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के तहत सन्दर्भित वाद संख्या– 152 /2013–14

रामरूप प्रसाद सिंह बनाम अनाबाद बिहार सरकार एवं रामेश्वर मंडल तथा 06 अन्य

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित किया गया, अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद में रामरूप सिंह पिता– स्व0 काशी प्रसाद सिंह ग्राम– रजवाड़ा (बैधनाथपुर) पोस्ट– इनाई थाना वो अंचल– बहेड़ी जिला– दरभंगा आवेदक हैं, जिन्होनें दिनांक 24.05.2013 को दाखिल वाद पत्र में (1) अनावाद बिहार सरकार द्वारा जिला पदाधिकारी, दरभंगा को विपक्षी पक्षकार सं0– 01 (2) रामेश्वर मंडल उर्फ रामेश्वर प्रसाद सिंह पिता– स्व0 रामलखन मंडर को विपक्षी पक्षकार सं0– 02 तथा (3) बटोही वक्खो पिता– ठक्को वक्खो (4) चाकीर बक्खो पिता– सनीफा बक्खो (5) सफुआ बक्खो पिता– बटोरन बक्खो (6) गुलसन खातुन पिता– जाकिर बक्खो (7) नीलम खातुन पति– सफुआ बक्खो (8) अमीर खाँ पिता– मु0 जाकिर खाँ ग्राम– रजवाड़ा बैधनाथपुर थाना– बहेड़ी को विपक्षी के रूप में प्रतिस्थापित किया है। आवेदक के वाद पत्र की विषयवस्तु मौजा– हावीडीह थाना– बहेड़ी थाना नं0– 115 जिला– दरभंगा अन्तर्गत नया खाता सं0– 4861 नया खेसरा 17887/27121 की रकवा – 16 धुर भूमि है जिसके चौहद्दी में उतर– सड़क, दक्षिण– उमेश प्रसाद सिंह वगैरह, पूरब– नीज मनमोकीर, पश्चिम– उमेश प्रसाद सिंह बताया गया है तथा उल्लेख किया गया है कि उक्त भूमि आवेदक ने विपक्षी सं0– 02 रामेश्वर मंडर उर्फ रामेश्वर प्रसाद सिंह पिता– स्व0 रामलखन मंडर से दिनांक 12.06.2012 को केवाला द्वारा हासिल किया है। जिसपर इनका शान्तिपूर्ण दखल–कब्जा चला आ रहा है। आवेदक ने वाद पत्र में उल्लेख किया है कि इनके बिक्रेता के पूर्वज को साबिक खाता– 1047, एवं खेसरा– 8584 की जमीन 16 डी0 निबंधित पट्टा द्वारा मालिक गोबिन्द	

26/03/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	दास पिता– विशेश्वर दास से दिनांक 06.05.1927 को हीं हासिल हुआ था जिसपर पट्टा के दिन से बिक्री के दिन तक बिक्रेता के पूर्वज दखल–कब्जे में चले आ रहे थे और बिक्रय के पश्चात् अब आवेदक के शान्तिपूर्ण दखल–कब्जे में चला आ रहा है। आवेदक का आरोप है कि उपर्युक्त साबिक खेसरा 8524 का हाल सर्वे खाता 4861 अनाबाद बिहार सरकार के नाम दर्ज कर हाल सर्वे अमला द्वारा भारी भूल किया गया है। आवेदक ने वाद पत्र में अनुरोध किया है कि यह घोषित किया जाय कि मौजा हावीडीह थाना वो अंचल बहेड़ी थाना नं0– 115 जिला– दरभंगा हाल सर्वे खाता नं0– 4861 हाल सर्वे खेसरा नं0– 17887/27121 जिसका साबिक खाता 1047 साबिक खेसरा 8524 रकवा– 16 डी0 रकवा में से 16 धुर रकवा जिसका चौहद्दी उतर– सड़क, दक्षिण– उमेश प्रसाद सिंह व प्रमोद रंजन प्रसाद सिंह, पूरब– नीज मनमोकिर, पश्चिम– उमेश प्रसाद सिंह हैं। हाल सर्वे खतियान अनाबाद सर्व साधारण के नाम खारिज करते हुए इस भूमि विवाद के आवेदक रामरूप प्रसाद मंडल पिता– स्व0 काशी प्र0 सिंह के नाम इन्द्राज किया जाय तथा उक्त भूखण्ड पर विपक्षी सं0– 3 सं 8 तक को जाने से रोक लगाया जाय। आवेदक के वाद पत्र के आलोक में विपक्षीयों को सूचना निर्गत की गई, विपक्षी सं0– 02 से 08 तक उपस्थित हुए जिसमें विपक्षी सं0– 02 ने आवेदक के साथ दिनांक 26.06.2013 को सुलहनामा करते हुए आवेदक के वाद पत्र का समर्थन करते हुए उल्लेख किया कि आवेदक का नाम खतियान के दखल कॉलम में रामलखन मंडन विलोपित कर रैयती खाता दखल कब्जा एवं कागजी सबूत के आधार पर आवेदक के नाम इन्द्राज कर दिया जाय। विपक्षी सं0– 03 से 08 तक की ओर से दाखिल प्रतिउतर में कहा गया कि विपक्षीयों के खिलाफ आवेदक के द्वारा दायर वाद चलने लायक नहीं है तथा आवेदक ने जो अनुतोष माँग किया है वह खारिज होने योग्य है विपक्षीयों का कहना है कि सर्वे खतियान के अंतिम प्रकाशन के पश्चात् पुनः सर्वे खतियान में इन्द्राज को बदलने का अधिकार इस न्यायालय को नहीं है।	

26/03/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	विपक्षी सं0– 03 से 08 तक का दावा है कि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षीयों का दखल–कब्जा लगभग सैंकड़ों वर्षों से है तथा नया सर्वे के दौरान भी खाता अनाबाद सर्व साधारण के नाम दर्ज हुआ था लेकिन आवेदक ने सर्वे अमला को मेल में लेकर खतियान में अ0 द0 कब्जा रामलखन मण्डर दर्ज करा लिया है। इन सभी का यह भी कहना है कि ये लोग खानाबदोश बक्खों जाति से हैं तथा इनका मुख्य पेशा भीख मांगना वो शिकार करना है तथा इनलोगों के पिता ने वर्ष 1983–84 में अंचलाधिकारी बहेड़ी के यहाँ वासगित पर्चा निर्गत करने हेतु आवेदन भी दिया था जिसपर अंचलाधिकारी बहेड़ी के द्वारा दिनांक 06.06.1985 को विपक्षीयों के पिता को नोटिस भी निर्गत किया गया था। साथ हीं उल्लेख किया गया है कि प्रश्नगत भूमि पर विपक्षीयों का हकीयत वजरिए हक मोखालफाना है जिसपर झोपड़ीनुमा मकान है। विपक्षीयों ने अंचलाधिकारी बहेड़ी द्वारा दिनांक 06.06.1985 को बहोही बक्खो पिता– ठक्को बक्खो, रजवाड़ा के नाम निर्गत नोटिस की छायाप्रति दाखिल करते हुए आवेदक के वाद को खारिज योग्य बताया है। उभय पक्षों के दावे–प्रतिदावे पर विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। खतियान के अवलोकन से विदित है कि प्रश्नगत खेसरा 17886/27121 की 16 डी0 भूमि अवैध दखल में आवेदक के बिक्रेता के पिता का नाम दर्ज है। इस प्रकार आवेदक के बिक्रेता के पिता का नाम अवैध दखलकार के रूप में अनाबाद सर्व साधारण की भूमि पर कब्जा होना स्पष्ट परिलक्षित होता है साथ हीं अवैध दखलकार का नाम खतियान सर्वे हाल के इन्द्राज से विलोपित कर केवाला के आधार पर आवेदक का नाम इन्द्राज करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है। चूँकि प्रश्नगत हाल सर्वे खाता की भूमि अनावाद सर्व साधारण के नाम है जिसपर सर्व साधारण का आम जनता का अधिकार है जिसे किसी खास व्यक्ति के नाम बिना सक्षम स्वीकृति के इन्द्राज नहीं किया जा	

26/03/14

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख–सहित
	सकता, इस प्रकार आवेदक द्वारा वाद पत्र के माध्यम से मांगी गई अनुतोष पोषणीय प्रतीत नहीं होता। सुनने से विदित होता है कि यदि अनावाद सर्व साधारण की भूमि पर किसी व्यक्ति का खास दखल कब्जा है वह अवैध है जो अतिक्रमणकारी की श्रेणी में आते हैं। साथ हीं चूँकि विपक्षीयों के पूर्वज बटोही बक्खों द्वारा प्रश्नगत भूमि के बासगीत पर्चा निर्गत करने संबंधी अंचलाधिकारी बहेड़ी को वर्ष 1983–84 में दिए गए आवेदन पर निर्गत नोटिस दिनांक 06.06.1985 के छायाप्रति से विदित होता है कि विपक्षी सं0– 02 से 08 तक का कथन विश्वसनीय है जो भी अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं क्योंकि अब तक उनके नाम बासगीत पर्चा निर्गत नहीं हुआ है। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आवेदक के विक्रेता के नाम से हुए हाल सर्वे जिसमें अबैध दखलकार के रूप में अंकित है तथा उक्त जमीन आवेदक को बयनामा से प्राप्त है तथा प्रश्नगत भूमि इनके दखल–कब्जा में है। जबतक हाल सर्वे खतियान के विरूद्ध सक्षम न्यायालय से आदेश पारित नहीं होता है तब तक प्रस्तुत कार्यवाही के अन्तर्गत कोई भी सम्यक आदेश पारित करना समीचीन प्रतित नहीं होता है। **लेखापित एव शुद्धित** 26/03/14 **भू0 सु0 उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।** 26/03/14 **भूमि सुधार उप समाहर्त्ता** **सदर, दरभंगा।**	